घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (51) वन/2021 जयपुर, दिनांकः– 18 NOV 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.8061 ha of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Limited fo Construction of 765 KV D/C Connecting Missing link Line From Fatehgarh to Bhadla Transmission line at Bhadla-I. Total Route Length - 3.555 km." District - Jodhpur(Rajasthan).

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ 14 (Trans/PGCIL)2020/एफसीए/प्रमुवस/3054 दिनांक 01.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव Power Grid Corporation of India LTD. द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में फतहगढ से भादडा ट्रांसमिशन लाईन, भादडा–I तक 765 के.वी. डी/सी कनेक्टिंग मिसिग लिंक लाईन के निर्माण हेतु 0.8061 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस कम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **04.08.2021** द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14 (Trans/PGCIL)2020/एफसीए/प्रमुवस/3054 दिनांक 01.11.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.8061 ha of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Limited fo Construction of 765 KV D/C Connecting Missing link Line From Fatehgarh to Bhadla Transmission line at Bhadla-I. Total Route Length - 3.555 km." District - Jodhpur(Rajasthan) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

Scanned with CamScanner

भीम BhIM
भारत इंटरफेस फॉर मनी

घर-घर औषधि योजना

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावाया जावेगा।
9. प्रयोक्ताा अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 04.08.2021 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(signature)

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

8. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
9. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या सी–405 एवं सी–406, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
11. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
12. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
13. Manager, Power Grid Corporation of India Limited, 765 KV Sub Station Kanta Khaturiya Conony, Bikaner-334003
14. रक्षित पत्रावली।

//

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी,वन

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar

Scanned with CamScanner